राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर

एस. बी. सिविल रिट याचिका सं. 2717/2019

बागडू राम पुत्र श्री दल्लाजी डांगी, आयु लगभग 53 वर्ष, जाति-डांगी, निवासी- सतखंडा, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)- याचिकाकर्ता।

बनाम

1. सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, राजस्थान राज्य, जयपुर (राज.) के माध्यम से।

2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, बीकानेर (राज)।

3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, उदयपुर मंडल, उदयपुर (राज.)।

4. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, चित्तौड़गढ़ (राज)।

5. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, चित्तौड़गढ़ (राज)।

6. मुख्य खंड शिक्षा अधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज)।

7. यूसुफ मोहम्मद, पूर्व खंड प्राथमिक शिक्षा चित्तौड़गढ़ (वर्तमान में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (डी. ई. आई. टी.) शाहपुरा जिले में तैनात) भीलवाड़ा (राज)।

याचिकाकर्ताओं के लिएः- श्री भरत देवासी

उत्तरदाताओं के लिएः- श्री सरवन कुमार

माननीय न्यायाधीश श्री अरुण मोंगा

आदेश

09/01/2024

आवेदन (आई. ए.) सं. 02/23

आवेदन में बताए गए कारणों के लिए, शीघ्र सुनवाई के लिए प्रार्थना की अनुमति है। तदनुसार आवेदन का निपटारा किया जाता है।

एस. बी. सिविल रिट याचिका सं. 2717/2019

1. यह स्पष्ट है कि रिट कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, याचिकाकर्ता को पहले ही भुगतान का लाभ प्रदान कर दिया गया है जैसा कि उसने याचिका में दावा किया है और उस हद तक, याचिका को निष्फल बना दिया गया है।

2. जहाँ तक पदोन्नति न दिए जाने सम्बन्धी अन्य शिकायतों का संबंध है, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि भले ही भुगतान का लाभ प्रदान किया गया है, लेकिन याचिकाकर्ता को आज तक पदोन्नत पद पर शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई है। कारण यह है कि प्रत्यर्थियों के सक्षम प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता को वरिष्ठ शिक्षक (उच्च प्राथमिक विद्यालय, धाराना) के रूप में अपनी वर्तमान पोस्टिंग का प्रभार छोड़ने की अनुमति देने के लिए कार्यमुक्ति -आदेश पारित नहीं किया है।

3. इसका प्रतिरोध करते हुए, प्रत्यर्थियों के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि कार्यमुक्ति -आदेश को पहले रोक दिया गया था क्योंकि याचिकाकर्ता के खिलाफ कुछ विभागीय कार्यवाही लंबित थी। अदालत के एक प्रश्न पर, वह स्वीकार करते हैं कि हालांकि उक्त विभागीय जांच को बाद में हटा दिया गया था। इस कारण, मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि याचिकाकर्ता को उसकी पदोन्नति का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है।

4. ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता को दी गई पदोन्नति पूरी तरह से निरर्थक है। याचिकाकर्ता की तथाकथित पदोन्नति, उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही को रद्द करने के बाद भी, उसे वास्तव में कोई ठोस लाभ दिए बिना केवल एक ऑप्टिकल खुशी बनी हुई है। हो

सकता है कि इस न्यायालय के समक्ष कार्यवाही की लंबितता उत्तरदाताओं के दिमाग पर भारी पड़ रही हो। इसलिए, उन्हें वर्तमान नियुक्ति से मुक्त करने के लिए आगे उचित प्रशासनिक आदेश पारित नहीं किए गए हैं।

5. इस आधार पर, रिट याचिका का निपटारा प्रत्यर्थियों को इस निर्देश के साथ किया जाता है कि यदि याचिकाकर्ता को पदोन्नति के लाभ के अनुसार कोई बाधा नहीं है, तो उचित आदेश पारित किए जाएं। याचिकाकर्ता द्वारा तत्काल आदेश के वेब प्रिंट के साथ उनसे संपर्क करने के 4 सप्ताह की अवधि के भीतर किया जाना आवश्यक है, ताकि उन्हें उनके वर्तमान पद से मुक्त किया जा सके और कानून के अनुसार उन्हें पदोन्नति के पद पर नियुक्त करने का आदेश भी पारित किया जा सके।

6. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का भी निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा), जे.

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक सुनील कुमार किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा मे समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अँग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अँग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।